

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 860]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 नवम्बर 2025 — कार्तिक 21, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक/ESTB-102/311/2025-GAD-5.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्वारा, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2015 यथा संशोधित 25 अप्रैल, 2023 में निम्नानुसार और संशोधित किया जाना है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

1. अनुसूची - एक के सरल क्रमांक 24 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जावे अर्थात् :-

अनुसूची - एक

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	निज सचिव	01	9300-34800+ ग्रेड वेतन 4400	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

2. अनुसूची - दो के सरल क्रमांक 24 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जावे अर्थात् :-

अनुसूची - दो

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले संख्या का प्रतिशत	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	निज सचिव	01	100 % (पदोन्नति)	पदोन्नति के पात्र कर्मचारी की अनुपलब्धता की दशा में, पदों को प्रतिनियुक्ति/संविदा सेवा/स्थानांतरण द्वारा भरे जा सकेंगे।

3. अनुसूची - चार में निम्नलिखित जोड़ा जाये अर्थात् :-

अनुसूची - चार

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति/नियुक्ति की जानी है।	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति/नियुक्ति की जानी है।	पदोन्नति हेतु पात्रता की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	निज सहायक	निज सचिव	निज सहायक के पद पर 05 वर्ष का अनुभव	1.संचालक द्वारा नामांकित अपर संचालक/ संयुक्त संचालक- अध्यक्ष 2.संयुक्त संचालक/ उप संचालक (लेखा)- सदस्य 3 . उप संचालक (प्रशा.)- सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशिका ऋषि पाण्डेय, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 9th October 2025

NOTIFICATION

No./ESTB-102/311/2025-GAD-5. — In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the Following amendment in the Chhattisgarh Academy of Administration (Gazetted) Service recruitment Rules, 2015 as amended on April 25, 2023 to be further amended as follows, Namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said Rules, -

1. After serial number 24 and entries relating thereto of schedule-I, the following shall be added, namely :-

S.No.	Name of the posts included in the service	Number of post	Scale of pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Personal Secretary	01	9300-34800 + Grade Pay 4400	

2. After serial number 24 and entries relating thereto of schedule-II, the following shall be added, namely :-

S.No	Name of the Service/posts	Number of post	Percentage of number of the posts to be filled in Deputation by person from other services/Contractual/Promotion	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Personal Secretary	01	100% (Promotion)	In Case of non-availability of eligible employees for promotion, the post may be filled by deputation/Contract Service/Transfer

3. Schedule-IV, the following shall be added, namely :-

S.No	Name of the Service or Post from which promotion is to be made	Number of the Service of Post on which promotion is to be made	Minimum experience period of eligibility for promotion	Name of Member of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Personal Assistant	Personal Secretary	5 Year's experience on the post of Personal Assistant	1. Additional Director/ Joint Director Nominated by the Director-Chairman 2. Joint Director/Deputy Director (Accounts)-Member 3. Deputy Director (Administration)-Member Secretary

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANSHIKA RISHI PANDAY, Deputy Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक/ESTB-102/311/2025-GAD-5.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्वारा, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो के सरल क्रमांक-1 (वरिष्ठ निज सहायक ग्रेड-1) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंशिका ऋषि पाण्डेय, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 9th October 2025

NOTIFICATION

No./ESTB-102/311/2025-GAD-5. — In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the Following amendment in the Chhattisgarh Academy of Administration (Ministerial and Non-Ministerial) Service recruitment Rules, 2012 to be further amended as follows, Namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said Rules, -

Serial No. 1 (Senior Personal Assistant Grade-1) of Schedule-I and Schedule-II and entries relating thereto shall be ommitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANSHIKA RISHI PANDAY, Deputy Secretary.